गुना में जुकाम-बुखार की दवा के लिए भी तरसे लोग

ई-फार्मेसी के खिलाफ गुना में ऐतिहासिक दवा बंद : सुगन चौराहे पर काली पट्टी बांधकर केमिस्ट्स ने की नारेबाजी

नवभारत न्यूज

गुना 20 मई का। ऑनलाइन दवा बिक्री और बड़े कॉरपोरेट घरानों के अनुचित व्यापारिक तौर-तरीकों के खिलाफ ऑल इंडिया केमिस्ट एसोसिएशन के देशव्यापी आह्वान पर गुना जिले में ऐतिहासिक और अभूतपूर्व बंद देखा गया। गुना डिस्ट्रिक्ट केमिस्ट एसोसिएशन के बैनर तले आयोजित इस एक दिवसीय आंदोलन के दौरान जिलेभर के 700 से अधिक मेडिकल स्टोरों के शटर चौबीस घंटे पूरी तरह से गिरे रहे।

इस देशव्यापी आंदोलन के चलते गुना जिले का करोड़ों रुपये का दवा कारोबार पूरी तरह ठप नजर आया। हालांकि, इस हड़ताल के कारण जिला मुख्यालय से लेकर सुगन चौराहा और दूरदराज के ग्रामीण अंचलों तक स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हुईं और मरीजों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। गुना जिले में इस विशाल और प्रभावी आंदोलन की अगुवाई गुना डिस्ट्रिक्ट केमिस्ट एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष प्रदुम्न जैन ने की। बुधवार सुबह से ही जिला अध्यक्ष प्रदुम्न जैन के नेतृत्व में जिलेभर के सैकड़ों दवा विक्रेता, रिटेलर्स और वितरक शहर के प्रमुख सुगन चौराहे पर एकत्रित होना शुरू हो गए। अपनी एकजुटता प्रदर्शित करने और केंद्र सरकार की नीतियों के प्रति अपना कड़ा विरोध दर्ज कराने के लिए सभी दवा विक्रेताओं ने अपने हाथों पर काली पट्टी बांधी। सुगन चौराहे पर केमिस्ट्स ने कॉपोरेट एकाधिकार और ऑनलाइन दवाओं की अनियंत्रित बिक्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान केमिस्ट एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने समय रहते छोटे और मध्यम दवा व्यापारियों के हितों की रक्षा नहीं की, तो यह आंदोलन भविष्य में और उग्र रूप धारण करेगा।

ऑनलाइन दवाओं से समाज और जनस्वास्थ्य को बड़ा खतरा

प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष प्रदुम्न जैन एवं अन्य वरिष्ठ पदाधिकारियों ने ऑनलाइन दवा व्यापार से समाज को होने वाले गंभीर खतरों से अवगत कराया। केमिस्ट्स का कहना है कि इंटरनेट के माध्यम से धड़ल्ले से बिकने वाली दवाओं की प्रामाणिकता और गुणवत्ता पर हमेशा गंभीर सवाल उठते हैं। उपभोक्ताओं को यह भी पता नहीं होता कि दवाएं वास्तव में किस निमार्ता द्वारा बनाई गई हैं और इन्हें कहां से और किस तापमान पर भंडारित करके भेजा गया है। इसके अलावा, सबसे बड़ा और भयावह संकट यह है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की ढीली व्यवस्था के कारण देश का युवा वर्ग बिना किसी वैध डॉक्टरी पर्चे (प्रिस्क्रिप्शन) या नकली पर्चों के सहारे आसानी से एंटीबायोटिक्स, नींद की दवाएं और आदत बनाने वाली नशीली दवाओं का ऑर्डर दे रहा है। इससे समाज में नशे की प्रवृत्ति को सीधे तौर पर बढ़ावा मिल रहा है, जो आने वाली पीढ़ी और जनस्वास्थ्य के लिए एक बेहद गंभीर चेतावनी है।

ग्रामीण क्षेत्रों में हाहाकार

इस देशव्यापी हड़ताल का सबसे मारक असर उन आम लोगों और मरीजों पर देखा गया, जिन्हें एक दिन पहले तक इस बंद की कोई जानकारी नहीं थी। सुबह जब ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लोग अपनी नियमित और आपातकालीन दवाएं खरीदने बाजारों में पहुंचे, तो सभी दुकानों पर ताले लटके देखकर उनके होश उड़ गए।

वैकल्पिक व्यवस्था नाकाफी

इसके बावजूद, प्रशासन की यह वैकल्पिक व्यवस्था ऊंट के मुंह में जीरा साबित हुई। इन सरकारी और जन औषधि केंद्रों पर मरीजों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी, जिससे लंबी-लंबी कतारें लग गईं। सबसे बड़ी समस्या यह रही कि निजी डॉक्टरों द्वारा पर्चों पर लिखी गई अधिकांश गंभीर और विशिष्ट मर्ज की दवाएं इन केंद्रों पर उपलब्ध ही नहीं थीं। कैंसर, हृदय रोग, शुगर, बीपी और न्यूरो जैसी गंभीर बीमारियों की दवाएं न मिलने के कारण मरीजों के परिजन दिनभर एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल भटकने को मजबूर रहे।

पीएम के नाम जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

सुगन चौराहे पर उग्र प्रदर्शन और नारेबाजी के बाद, जिला अध्यक्ष प्रदुम्न जैन की अगुवाई में दवा विक्रेताओं का एक विशाल प्रतिनिधिमंडल रैली के रूप में जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचा। वहाँ एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने जिला कलेक्टर के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा। सौंपे गए ज्ञापन में केमिस्ट एसोसिएशन ने केंद्र सरकार से मांग की है कि देश के 12.40 लाख से अधिक पारंपरिक दवा विक्रेताओं और उनसे जुड़े 5 करोड़ परिवारों की आजीविका को बचाने के लिए ऑनलाइन ई-फामेर्सी के अवैध संचालन पर तुरंत और पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए। साथ ही, कॉरपोरेट्स द्वारा की जा रही 'प्रेडेटरी प्राइसिंग' (दामों में अनुचित भारी कटौती) पर रोक लगाकर ऑफलाइन रिटेलर्स के व्यावसायिक हितों की रक्षा की जाए।

यात्री बसों के विरुद्ध परिवहन विभाग की बड़ी कार्रवाई, बिना परमिट-फिटनेस चल रही बस जब्त, 62 हजार का जुर्माना

नवभारत न्यूज

गुना। जिले में यात्री बसों की सघन जांच का अभियान लगातार जारी है। इसी सिलसिले में बुधवार को परिवहन विभाग की टीम ने गुना के जज्जी बस स्टैंड पर एक विशेष जांच अभियान चलाया, जिससे बस संचालकों में हड़कंप मच गया।

अभियान के दौरान जज्जी बस स्टैंड पर लगभग 15 यात्री बसों को रोककर उनके दस्तावेजों और सुरक्षा मानकों की बारीकी से जांच की गई। इसमें बसों के परमिट, फिटनेस प्रमाण पत्र, फायर फाइटर (अग्निशमन यंत्र), फर्स्ट एड किट एवं अन्य सुरक्षा मानकों को देखा गया। इस दौरान बस क्रमांक एमपी 08 पी 0297 बिना वैध परमिट और फिटनेस के सरेराह सवारियां ढोते हुए पाई गई। परिवहन विभाग ने नियमों के इस गंभीर उल्लंघन पर सख्त रुख अपनाते हुए बस को तुरंत जब्त कर लिया और मौके पर ही 52 हजार का भारी-भरकम शमन शुल्क वसूला। कार्रवाई के दौरान 7 अन्य यात्री बसों में भी कमियां पाई गईं। इन बसों में अग्निशमन यंत्र (फायर एक्सटिंग्विशर) क्रियाशील न होने और पी.यू.सी. (प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र) संबंधी दस्तावेज अपूर्ण होने पर कुल 10,500 की चालानी कार्रवाई की गई। इस प्रकार परिवहन विभाग ने बुधवार को कुल 62,500 की शमन व चालानी कार्रवाई को अंजाम दिया। इस पूरी कार्रवाई में चेक प्वाइंट प्रभारी संतोष तोमर, आरटीओ कार्यालय से सुशील भार्गव, विवेक दुबे, प्रशांत गुप्ता सहित आरक्षक हेमंत रघुवंशी, ध्रुव मीणा और विभागीय अमला मुख्य रूप से मौजूद रहा।

परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि यात्रियों की जान जोखिम में डालकर बिना मानकों के बस संचालित करने वालों के खिलाफ आगे भी इसी तरह की कार्रवाई जारी रहेगी।

हाईवे पर आमने-सामने भिड़ीं मोटरसाइकिल, पुलिस ने बचाई जान

नवभारत न्यूज

गुना। म्याना थाना क्षेत्र के अंतर्गत म्याना से करीब 10 किलोमीटर दूर भदोरा एनएचएआई हाईवे पर बीती रात दो मोटरसाइकिलों की आमने-सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। इस हादसे में एक महिला सहित तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, एक मोटरसाइकिल गलत दिशा में चली आ रही थी, जिससे हादसा हो गया।

हादसे के दौरान म्याना पुलिस का बेहद संवेदनशील और मानवीय चेहरा सामने आया, जिसकी स्थानीय ग्रामीणों ने जमकर सराहना की। घटना के समय म्याना थाना प्रभारी बृजमोहन भदोरिया अपने स्टाफ के साथ हाईवे पर रात्रि गश्त पर थे। दुर्घटना होते ही उन्होंने बिना वक्त गंवाए मोर्चा संभाला।

थाना प्रभारी और उनके स्टाफ ने तत्परता दिखाते हुए सभी घायलों को सड़क पर ही प्राथमिक उपचार दिया और खुद अपने हाथों से उठाकर तुरंत 112 वाहन की मदद से अस्पताल पहुंचाया।

मोटरसाइकिल के गलत दिशा के कारण हादसा

समय पर मिले इलाज के कारण दोनों पुरुष और महिला अब पूरी तरह सुरक्षित हैं। थाना प्रभारी बृजमोहन भदोरिया ने बताया कि रात्रि गश्त के दौरान यह हादसा हमारी नजरों के सामने हुआ, जिसके बाद घायलों को तुरंत म्याना पुलिस टीम द्वारा अस्पताल भिजवाया गया। ग्रामीणों ने पुलिस के इस कार्य की सराहना करते हुए कहा कि कुछ पुलिसकर्मी ड्यूटी के साथ-साथ इंसानियत का फर्ज भी बखूबी निभाते हैं। इस बार भी पुलिस ने ऐसा ही संदेश दिया है।

यहां रहेगी बिजली गुल

गुना। विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड गुना के सहायक प्रबंधक द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, 33/11 केवी कुशमौदा सब स्टेशन पर कल, 21 मई को आवश्यक प्री-मानसून मेंटेनेंस (वर्षा पूर्व रखरखाव) का कार्य किया जाएगा। रखरखाव कार्य के कारण 33 केवी कुशमौदा फीडर और रुचि सोया फीडर के अंतर्गत आने वाले सभी 33 केवी उच्चदाब (हाई वोल्टेज) कनेक्शनों की बिजली बंद रहेगी। इसके अतिरिक्त, 11 केवी कुशमौदा 1 और 2 फीडर से जुड़े प्रमुख क्षेत्रों जैसे नई बस्ती कुशमौदा, कुशमौदा गांव, सिद्धिविनायक हॉस्पिटल, गांधी नगर, पोल्ट्री फार्म और नया औद्योगिक क्षेत्र का विद्युत प्रवाह भी बाधित रहेगा।

चांचौड़ा-बीनागंज में पटाखा दुकान और गोदाम का औचक निरीक्षण

नवभारत न्यूज

गुना। अनुविभागीय अधिकारी रवि मालवीय ने राजस्व और पुलिस अमले के साथ बीनागंज स्थित फैंसी पटाखा दुकान और गोदाम का औचक निरीक्षण किया। इस कार्रवाई से पटाखा व्यापारियों में हड़कंप मच गया।

निरीक्षण के दौरान प्रशासनिक टीम ने पटाखा दुकान में विस्फोटक सामग्री से संबंधित लाइसेंस, उनके भंडारण की क्षमता और रखरखाव की व्यवस्थाओं को बारीकी से जांचा। फैंसी पटाखा दुकान के संचालक प्रमोद जैन की मौजूदगी में पटाखों के सैंपल चेक किए गए। साथ ही अधिकारियों ने संचालक को ग्रीन पटाखों के निर्धारित मानकों के संबंध में आवश्यक जानकारी देते हुए नियमों का पालन करने की हिदायत दी। किसी भी संभावित दुर्घटना या आकस्मिक आपातकालीन स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए मौके पर अग्निशामक यंत्रों की क्रियाशीलता और वाटर प्रेशर पाइप की व्यवस्थाओं को भी देखा गया। इस औचक निरीक्षण के दौरान कार्यपालक दंडाधिकारी रेनू कांसलीवाल और थाना प्रभारी नीरज राणा सहित राजस्व व पुलिस विभाग का अमला मुख्य रूप से उपस्थित रहा।

अघोषित बिजली कटौती से फतेहगढ़ में आक्रोश

नवभारत न्यूज

गुना। फतेहगढ़ क्षेत्र में पिछले काफी समय से जारी लगातार और अघोषित बिजली कटौती से परेशान नागरिकों का गुस्सा फूट पड़ा। बुधवार को बड़ी संख्या में क्षेत्रवासियों ने विद्युत वितरण केंद्र पहुंचकर कनिष्ठ अभियंता को ज्ञापन सौंपा और नियमित बिजली आपूर्ति की मांग की।

3 दिन में सुधार न होने पर चक्का जाम की चेतावनी

वीओ: नागरिकों ने बताया कि भीषण गर्मी में बिना सूचना घंटों बिजली गुल रहने से आम जनजीवन बेपटरी हो गया है। इससे बुजुर्ग, बच्चे और मरीज बेहाल हैं, वहीं जलापूर्ति ठप होने और विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित होने से जनता में भारी आक्रोश है। व्यापारियों का धंधा भी चौपट हो रहा है। उपभोक्ताओं का कहना है कि जब बिल समय पर लिया जाता है, तो निर्बाध बिजली पाना उनका अधिकार है। ज्ञापन में स्थानीय तकनीकी खराबी दूर करने और कृषि पंप लाइनों की समस्या सुलझाने की भी मांग की गई। क्षेत्रवासियों ने विद्युत विभाग को चेतावनी दी है कि यदि 3 दिनों के भीतर अघोषित कटौती बंद नहीं हुई, तो जनता सड़कों पर उतरकर उग्र आंदोलन और चक्का जाम करेगी।

एसडीएम आरोन ने किया उचित मूल्य दुकानों का आकस्मिक निरीक्षण

नवभारत न्यूज

गुना। प्रशासनिक कसावट और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को दुरुस्त करने के उद्देश्य से एसडीएम आरोन महिमा चौधरी ने बुधवार को ग्राम टंक परोरिया, माता मूढ़रा एवं रामपुर स्थित शासकीय उचित मूल्य दुकानों का औचक निरीक्षण किया। इस आकस्मिक जांच के दौरान उन्होंने दुकानों की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और वहां मौजूद हितग्राहियों से सीधे चर्चा कर राशन वितरण की जमीनी हकीकत जानी। एसडीएम माता मूढ़रा एवं रामपुर स्थित शासकीय उचित मूल्य दुकानों की जांच करने पहुंचीं, तो यह दोनों दुकानें निर्धारित समय पर बंद पाई गईं।

सरकारी नियमों और तय समय का उल्लंघन करने पर एसडीएम ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की और संबंधित दोनों दुकानों के सेल्समैन को तत्काल कारण बताओ सूचना पत्र (नोटिस) जारी करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के क्रम में एसडीएम सबसे पहले ग्राम टंक परोरिया की राशन दुकान पर पहुंचीं। वहां उपस्थित ग्रामीणों और हितग्राहियों ने चर्चा के दौरान बताया कि उन्हें समय पर पात्रता के अनुसार राशन मिल रहा है। इस पर संतोष जताते हुए एसडीएम ने दुकान के सेल्समैन को निर्देशित किया कि दुकान पर सूचना बोर्ड (स्टॉक एवं मूल्य सूची) अनिवार्य रूप से प्रदर्शित किया जाए तथा दुकान परिसर में समुचित साफ-सफाई बनाए रखी जाए।

कलेक्ट्रेट रोड पर शुरू की जलसेवा

गुना। भीषण गर्मी के इस मौसम में राहगीरों और आम जनता को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से श्री सत्य साईं सेवा समिति जिला गुना द्वारा एक सराहनीय पहल की गई है। मंगलवार को नई कलेक्ट्रेट रोड पर समिति द्वारा जल सेवा कार्य का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों को ठंडा पानी पिलाया गया।

दरअसल, नई कलेक्ट रोड पर कलेक्ट्रेट होने के कारण मंगलवार को जनसुनवाई कार्य हेतु ग्रामीण अंचलों और दूर-दराज के इलाकों से बहुत सारे लोग आते-जाते हैं। तेज धूप और गर्मी को देखते हुए समिति ने इसी मार्ग को सेवा कार्य के लिए चुना। यह जल सेवा प्रात: 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक निरंतर जारी रही, जिसमें कुल 15 कैंपर ठंडे पानी का उपयोग किया गया। इस दौरान राहगीरों और ग्रामीणों को ठंडा जल पिलाकर पुण्य कमाया गया और पानी पीने के बाद लोगों ने इस कार्य में लगे सेवा दल की जमकर सराहना की। समिति के सदस्यों ने बताया कि यह पूरा कार्य स्वामी के चरणों में समर्पित भावना से किया गया है। इस सेवा कार्य को सफल बनाने में 8 पुरुष और 1 महिला सहित कुल 9 सदस्यों ने अपनी सक्रिय भूमिका निभाई। कार्यक्रम में भाग लेकर अपनी सेवाएं देने वालों में जिला संयोजक एनएफएल मुरलीधर प्रजापति, समिति संयोजक कमल बजाना, समिति शिक्षा संयोजक हरि चरण सोलंकी, समिति आध्यात्मिक अनूप खत्री, पूर्व जिला सेवा कोऑर्डिनेटर महिला विशाखा पाठक, शशिकांत गुप्ता, रमेश राठौड़, नूतन नागपाल और पेंशनर संघ के कोषाध्यक्ष के न बंसल प्रमुख रूप से शामिल रहे।

अवहेलना पीडब्ल्यूडी विभाग की दो महीने की मोहलत खत्म होते ही सामान समेट ले गए कोर्ट कर्मचारी

अदालत का आश्वासन भी पूरा नहीं कर पाया विभाग

नवभारत न्यूज

गुना। एक पूर्व कर्मचारी के वेतन विसंगति और एरियर भुगतान के मामले में न्यायालय के आदेश की अवहेलना करना लोक निर्माण विभाग को भारी पड़ गया। मोहलत बीत जाने के बाद भी करीब 40 लाख रुपए का भुगतान न करने पर बुधवार को न्यायालय की टीम ने बड़ी कार्रवाई की। प्रथम व्यवहार न्यायाधीश मधुलिका मुले के आदेश पर कोर्ट का अमला पीडब्ल्यूडी दफ्तर पहुंचा और वहां रखी टेबल, कुर्सियां, एसी सहित तमाम सरकारी सामान कुर्क कर लिया। इस औचक कार्रवाई से पूरे विभाग में हड़कंप मच गया।

पूरा मामला पीडब्लयूडी के एक पूर्व कर्मचारी कौशल किशोर राठौर से जुड़ा है, जो विभाग में लोअर डिवीजन क्लर्क के पद पर तैनात थे। उन्हें उचित वेतनमान नहीं मिल रहा था, जिसके विरोध में उन्होंने साल 1995 में विभाग के खिलाफ कानूनी लड़ाई शुरू की थी। करीब 31 साल लंबी चली इस लड़ाई के बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर विभाग ने साल 2013 तक के एरियर का भुगतान तो कर दिया था, लेकिन साल 2014 से लेकर 2025 तक की करीब 36 लाख रुपए की मूल राशि बकाया थी, जो ब्याज सहित अब लगभग 40 लाख रुपए हो चुकी है। इस मामले में जनवरी 2025 में कोर्ट ने आदेश पारित किया था, जिस पर विभाग ने दिसंबर 2025 तक का समय मांगा था। इसके बाद भी भुगतान न होने पर न्यायालय ने 25 फरवरी 2026 को पीडब्ल्यू के सामान की कुर्की के आदेश जारी किए। फरवरी में जब कोर्ट की टीम जब्ती के लिए पहुंची, तो विभागीय अधिकारियों ने 2 महीने का लिखित वचन पत्र देकर और समय मांग लिया था। यह मोहलत 19 मई को खत्म हो गई, लेकिन राशि का भुगतान नहीं हुआ। नतीजा यह हुआ कि 20 मई को न्यायालय की टीम दोबारा दफ्तर पहुंची और जब्ती की कार्रवाई को अंजाम दिया। इधर, पीडब्लयूडी के अधिकारियों का कहना है कि भोपाल मुख्यालय से फंड मिलने पर ही इस राशि का भुगतान किया जा सकेगा।

अवैध खनन : ट्रैक्टर-ट्रॉली एवं जेसीबी जब्त

गुना। जिले में खनिज पदार्थों के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण के विरुद्ध प्रशासन द्वारा लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल के निर्देश पर खनिज विभाग की टीम ने बुधवार को आरोन एवं बमोरी क्षेत्र में आकस्मिक निरीक्षण कर कार्रवाई की। निरीक्षण के दौरान आरोन क्षेत्र में एक ट्रैक्टर-ट्रॉली से गिट्टी का अवैध भंडारण एवं विक्रय करते हुए पाए जाने पर वाहन को तत्काल जब्त कर थाना आरोन में खड़ा कराया गया। वहीं तहसील बमोरी के ग्राम खरा खेड़ा में भ्रमण के दौरान एक जेसीबी मशीन द्वारा मोरम का अवैध उत्खनन करते पाए जाने पर मशीन को जब्त कर थाना बमोरी की अभिरक्षा में रखवाया गया। जब्त किए गए सभी वाहनों को संबंधित थानों की अभिरक्षा में रखा गया है तथा प्रकरणों में अर्थदंड दिया।

नगरपालिका परिषद, गुना जिला गुना (म.प्र.)

क्रमांक 1418/2026 गुना दिनांक 15/05/2026

निविदा विज्ञप्ति क्र. 31/ई-निविदा/गुनपा,गुना/2026-27

निविदा विज्ञप्ति सूचना निम्नलिखित निर्माण कार्य हेतु ऑनलाईन निविदायें आमंत्रित की जाती है। अत: जो ठेकेदार इस कार्य को करने हेतु इच्छुक हों वे अपनी-अपनी ऑनलाईन निविदायें म0प्र0न0प्र0 एवं वि0वि0 एस.ओ.आर. दिनांक 02.08.2021 एवं 08.11.2025 से प्रभावशील पर कम/अधिक / एसओआर प्रतिशत दर पर प्रस्तुत कर सकते है। निविदा का विस्तृत विवरण वेबसाईट https://www.mptenders.gov.in पर देखा जा सकता है।

क्रं	टेण्डर नम्बर	कार्य का नाम	पीएसी (लाख) ई.एम.डी निविदा प्रपत्र की राशि	निविदा प्रपत्र खरीदने की अंतिम तिथि	1 कार्य की समयावधि 2 आमंत्रण
1	2026_UD_491629_2	नगरपालिका क्षेत्रांतर्गत वार्ड क्रं. 03 विभिन्न गलियों में डामरीकरण कार्य	1.राशिरू.16.89 लाख 2. राशि 16890 केवल 3. 5000	03.06.2026	1 तीनमाह 2-द्वितीय आमंत्रण

मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय पत्र क्र. एफ-237/ /2024/18-2 दिनांक 06.09.2024 का कड़ाई से पालन किया जावेगा।

शर्तें :-1. बीएम/बीसी का कार्य पूर्ण होने के उपरांत कोर कटिंग कराकर शासन की गाइड लाइन अनुसार शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज अथवा शासकीय विभाग से परिक्षण कराकर उक्त द्वारा नियमानुसार राशि संबंधित ठेकेदार को जमा कराना अनिवार्य होगा। रिपोर्ट प्राप्ति के उपरांत ही बिल भुगतान की कार्यवाही की जावेगी। 2. अन्य शर्तें का अवलोकन कार्यालयीन समय में तकनीकी अधिकारी से संपर्क कर जानकारी ली जा सकती है।

1- टेण्डर क्रय करने एवं डालने की अंतिम तिथि : 03.06.2026 सांय 5.30
2- टेण्डर खोलने की तिथि : 04.06.2026 सांय 5.30

अध्यक्ष नगरपालिका परिषद, गुना — मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगरपालिका परिषद, गुना